न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

रेंवतसिंह व अन्य

बनाम

चैनसिंह इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

आदेश

दिनांक 02 जून 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 242/2015 बअनवान चैनसिंह बनाम नारायणसिंह इत्यादि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2015 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 17.12.2015 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो के विरुद्ध पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मुकदमें की सुनवाई का कोई नोटिस अपीलार्थीगण को नहीं दिया। तमाम कार्यवाही अपीलार्थीगण की गैर मौजूदगी में एवं अपीलार्थीगण के हितो के विरुद्ध की गई है। रेस्पोडेन्ट सख्या एक/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में झुठे तथ्य अंकित करते हुए वाद पेश कर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाई है। वादी का वाद पोषणीय ही नहीं था, क्योकि ग्राम बेंगटी खुर्द में स्थित खसरा नं0 176 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0

	176/1 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 131/2 रकबा 31 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 176/3 रकबा 31 बीघा 12 बिस्वा भूमि का विधिवत बंटवाड़ा सह खातेदारो के मध्य दिनांक 20.05. 2006 को ही हो चुका था, जिसमें सभी सह खातेदारो ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाडा कर लिया था तथा इस बंटवाड़ा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 647 स्वीकार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में खाते अलग अलग दर्ज कर दिये थे। वादी केवल खसरा नं0 176 का ही खातेदार काश्तकार है। खसरा नं0 176/1, 176/2, 176/3 से वादी का कोई ताल्लुकात नहीं है तथा न ही इन खसरो पर वह अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवा सकता है। इस कारण वादी का वाद किसी भी सुरत में चलने काबिल नहीं था। इस बंटवाड़ा के अनुसार ही सभी खातेदार अपने हिस्से अनुसार तथा राजस्व रेकर्ड अनुसार अलग अलग काश्त करते आ रहे है तथा मौके पर अलग अलग काबिज है। विचारण न्यायालय द्वारा जमाबन्दी में खाते अलग अलग होने के उपरान्त ही तथा विधिवत बंटवाडा होने के उपरान्त भी पुनः बंटवाड़ा करवाने के वाद में प्रथमदृष्टया केस मानने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलार्थी संख्या तीन द्वारा अपनी भूमि पर नलकुप खुदवा कर विधुत कनेक्शन प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने हेतु वादी द्वारा यह बोगस वाद तथा धारा 212 का प्रार्थना पत्र अपीलार्थीगण को हैरान व परेशान करने के उददेश्य से पेश किया गया है। अपीलार्थी संख्या तीन द्वारा अपने कृषि कनेक्शन हेतु विधुत विभाग में डिमाण्ड राशी 64,075/- रूपये भी जमा करवा दिये है। अपीलार्थी को ट्रांसफार्मर के अलावा सभी विधुत सामग्री भी प्राप्त हो गई है। इस कारण अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलार्थीगण के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 39 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक आदेशों की अवहेलना करते हुए एकतरफा स्थगन आदेश जारी किया गया है। आदेश 39 नियम 4 के अनुसार एकतरफा स्थगन आदेश देते समय 30 दिवस से अधिक आगामी पेशी नहीं दी जा सकती है तथा जिसके विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाता है उनको जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचना देना आवश्यक है तथा इस प्रार्थना पत्र को 30 दिवस के भीतर निस्तारण करना आवश्यक है।	

अधीनस्थ न्यायलय ने इस मामले बिना कोई कारण दर्शाये पूर्व में बंटवाड़ा होने के उपरान्त भी बंटवाडे के वाद में अपीलार्थीगणों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करने में कानूनी भूल की है तथा न ही अपीलार्थीगणों को एकतरफा स्थगन आदेश की सूचना जरिये रजिस्टर्ड ए.डी नोटिस से दी है। विचारण न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में बिना कोई राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनाक 23 अक्टूबर 2015 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स सहित उभय पक्षकारान् द्वारा तहसीलदार फलोदी के समक्ष आपसी रजामंदी का बंटवाड़ा प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 176 सहित खसरा नंबर 137 एवं 138 कुल रकबा 479.09 बीघा का बंटवाड़ा करवाया जाना प्रतीत होता है। उक्त आपसी रजामंदी के बंटवाड़ा की पालना में नामांतरकरण संख्या 647 दिनांक 13.06.2006 स्वीकृत किया जाना प्रतीत होता है। कानूनन वादग्रस्त आराजी का विधिवत्त विभाजन हो जाने से पुनः विभाजन का वाद पोषणीय नहीं है। वादी/रेस्पो. एक द्वारा विभाजन के तथ्यों को छिपाते हुए मूल वाद पस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किये बिना अपीलांट्स/रेकर्डेड खातेदारान् को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में प्रतीत होते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उपलब्ध अभिलेख एवं

	विधिक प्रावधानों के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2015 को अपास्त किया जाता है तथा मामला विचारण न्यायालण्य को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	